न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
44 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	28.06.2017	18.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रमोद लाला पुत्र श्री किशन चन्द लाला जाति सिन्धी एफ.बी.ओ. / मोबाइल वेन्डर (वाहन सं. आजे026 जीए 3151 टाटा जिप) निवासी सिन्धी कालोनी के पीछे टेलीफोन एक्सचेन्ज के पास टोंक राज.

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी व उनके अभिभाषक अनु.।

:–निर्णय–: **दिनांक 18.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.03.2017 को समय 11:59 ए.एम. पर वास्ते निरीक्षण बस स्टैण्ड बगडी तह. पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा वहां पर वाहन सं. आरजे. 26 जीए 3151 टाटा जिप खडी थी जो बस स्टैण्ड पर स्थित एक दुकान पर कन्फैक्शनरी सामान वास्ते विक्रय करने हेतु उतारते हुए पाये गये, मालिक / विक्रेता श्री प्रमोद लाला उपस्थित थे, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

श्री प्रमोद लाला की उपस्थिति में वाहन का निरीक्षण करने पर पाया कि वाहन में आम जनता को विक्रय करने हेतु 500–500 ग्राम के 14 नग **नमकीन मिक्सर लखनोट पॉली पैक (Namkeen Mixture lakhnot Poly pack)** के अलग–अलग गत्ते के कार्टून में रखी हुई जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री प्रमोद लाला को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री प्रमोद लाला व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन मिक्सर लखनोट पॉली पैक (Namkeen Mixture lakhnot Poly pack)**वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 500–500 ग्राम के चार नग कुल 2 किलोग्राम खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **नमकीन मिक्सर लखनोट पॉली पैक (Namkeen Mixture lakhnot Poly pack)** 500–500 ग्राम के चार नग कुल 2 किलोग्राम को 500–500 ग्राम के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

चार भाग तैयार कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बे में रखा एवं प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक I–1570 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1570 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

मौके पर नमूना कय करते समय श्री प्रमोद लाला से खाद्य पदार्थ **नमकीन मिक्सर लखनोट पॉली पैक (Namkeen Mixture lakhnot Poly pack)** का वारन्टी बिल मांगने पर श्री प्रमोद लाला ने बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया तथा बाद में आवेदक द्वारा पत्र प्रेषित कर भी वारन्टी बिल चाहा गया परन्तु पत्र का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./17/1944 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/207/एक्ट/2017/208 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **नमकीन मिक्सर लखनोट पॉली पैक (Namkeen Mixture lakhnot Poly pack)**एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **नमकीन मिक्सर लखनोट पॉली पैक (Namkeen Mixture lakhnot Poly pack)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 28.07.2017 को श्री नवरत्न नामा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया तथा अप्रार्थी दिनांक 03.05.2019 को मात्र एक बार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु अवसर चाहा। अप्रार्थी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं लगातार अनुपस्थित रहे। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **नमकीन मिक्सर लखनोट पॉली पैक (Namkeen Mixture lakhnot Poly pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन मिक्सर लखनोट पॉली पैक (Namkeen Mixture lakhnot Poly pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री प्रमोद लाला पुत्र श्री किशन चन्द लाला पर शास्ति रूपये 90,000/– (अक्षरे नब्बे हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक